

12-5-22

पताबली पेश इई। वकील फझकारम अनुपासित
वकील फझकारम व कोदमां प्रतिवादीयां को न्यायालय
समक्षतक आर-व्या आवातल गवाइ गइ ले निज
कोई उपायित नही हुए। और मा से वादी वकील
द्वारा प्रतिवादीयां नीतामील हेतु जोरिस तलबाना लम्बे
समय से पेश नही किये गये।

अतः न्याय अदालत द्वारा 53 व 188 गरी ए० जोरिस
तलबाना पेश नही करने पर अदालत आदेश ०५ नियम ०५
के तहत कार्रवाय किया जाता है पताबली मेसल सुमार
दोकार नम्बर से नाम दोकार दाखिल दफ्तर हो।
निर्वाह बुले न्यायालय में सुनाया गया।

